भारत सरकार
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या: *138
दिनांक 10 फरवरी, 2023 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

आयुष्मान भारत योजना के तहत लाभार्थी

***138. श्री श्रीरंग आप्पा बारणे :**
श्री विवेक नारायण शेजवलकर:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि**:**

(क): आयुष्मान भारत योजना (एबीवाई) के तहत राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार देश में कितनी धनराशि आवंटित/उपयोग की गई तथा वर्तमान में लाभार्थियों की कुल संख्या कितनी है;

(ख): पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान योजना के तहत पंजीकृत दावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है;

(ग): एबीवाई के तहत चिकित्सा उपचार को सम्मिलित करने के लिए शहरों में सरकार द्वारा पैनलबद्ध अस्पतालों और स्थानीय निकाय प्रशासन के तहत काम करने वाले और निजी अस्पतालों की संख्या राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार कितनी है;

(घ): एबीवाई के तहत ओडिशा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश सहित राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार विगत तीन वर्षों के दौरान पैनल में शामिल किए गए नए अस्पतालों की संख्या कितनी है तथा भविष्य में कितने अस्पतालों को पैनलबद्ध करने का लक्ष्य हैं;

(ड.): एबीवाई के तहत पैनल में शामिल नए अस्पतालों में कुल कितने लाभार्थियों ने राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार इलाज कराया है;

(च): पैनल में सम्मिलित अस्पतालों के साथ प्रतिपूर्ति के लिए पात्र विभिन्न चिकित्सा प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए निर्धारित शुल्कों की सूची क्या है; और

(छ): क्या सरकार ने योजना के तहत कमजोर, विकलांग व्यक्तियों के इलाज के संबंध में राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं और यदि हां, तो ऐसे व्यक्तियों को जारी किए गए आयुष्मान कार्डों की संख्या सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डॉ. मनसुख मांडविया)

(क) से (छ): विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 10 फरवरी, 2023 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 138* के उत्तर में उल्लिखित विवरण

****

आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन-आरोग्य योजना (एबी-पीएमजेएवाई) के अंतर्गत आवंटित बजट और उपयोग की गई निधियों का ब्योरा निम्नवत् हैं:-

(करोड़ रूपए में)

वित्त वर्ष	**बजट अनुमान**	**संशोधित अनुमान**	**उपयोग की गई निधि**
2018-19	2400.00	2160.00	1849.50
2019-20	6400.00	3200.00	2992.90
2020-21	6400.00	3100.00	2544.10
2021-22	6400.00	3199.00	2940.60
2022-23	6412.00	6412.00	4580.10 (02.02.2023 की स्थिति के अनुसार)

स्कीम के तहत प्राधिकृत अस्पताल भर्तियों की कुल संख्या तथा पैनलबद्ध अस्पतालों की कुल संख्या तथा प्राधिकृत अस्पताल भर्तियों की संख्या और वर्ष 2019-20 से 2021-22 के दौरान पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-I** पर है। इच्छुक निजी अस्पतालों की ओर से अस्पतालों की पैनलबद्धता स्वैच्छिक है। इच्छुक निजी अस्पताल पैनलबद्धता हेतु आवेदन कर सकते हैं तथा निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन स्कीम के अंतर्गत पैनलबद्धता प्राप्त कर सकते है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्कीम के तहत प्रस्तुत दावों का राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार ब्यौरा **अनुलग्नक-II** में है। स्वास्थ्य लाभ पैकेजों (एचबीपी) का ब्यौरा निम्नलिखित लिंक पर उपलब्ध है: https://pmjay.gov.in/sites/default/files/2022-04/HBP%202022%20..pdf

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा दिनांक 23.06.2022 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निर्देशों के अनुसार राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एबी-पीएमजेएवाई के तहत लाभार्थियों की पहचान हेतु अपना स्वयं का डेटासेट उपयोग कर सकते हैं। स्कीम के उद्देश्य और समग्र डिजाइन को यथावत रखते हुए, इस प्रयोजनार्थ केवल गरीब, वंचित और हाशिए पर पड़े परिवारों को ही नामांकित किया जाए। 2 फरवरी, 2023 की स्थिति के अनुसार, आयुष्मान कार्ड जारी करने हेतु स्कीम के तहत कुल 23.07 करोड़ लाभार्थी सत्यापित किए गए हैं।

****

अनुलग्नक-I

एबी-पीएमजेएवाई के तहत पैनलबद्ध किए गए अस्पतालों की संख्या तथा प्राधिकृत अस्पताल भर्तियों की कुल संख्या का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार ब्यौरा

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	पैनलबद्ध अस्पतालों की संख्या (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22)	प्राधिकृत अस्पताल भर्तियों की संख्या (वित्त वर्ष 2019-20 से वित्त वर्ष 2021-22)	पैनलबद्ध अस्पतालों की कुल संख्या (29.01.2023 के अनुसार)	प्राधिकृत अस्पताल भर्तियों की कुल संख्या (दिनांक 29.01.2023 के अनुसार)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह	-	1331	7	1,931
आंध्र प्रदेश	1464	2322812	2,475	2,837,878
अरुणाचल प्रदेश	51	1618	62	3,046
असम	216	358883	333	584,109
बिहार	289	360222	975	551,844
चंडीगढ़	18	16952	32	25,465
छत्तीसगढ	1503	2031021	1,622	3,335,143
दादरा और नगर हवेली और दमण और द्वीव	-	71098	7	96,645
गोवा	27	680	37	10,747
गुजरात	377	2532739	2,921	3,594,754
हरियाणा	264	419661	728	640,981
हिमाचल प्रदेश	70	123577	273	184,562
जम्मू और कश्मीर	123	386772	300	716,121
झारखंड	241	1032324	858	1,468,263
कर्नाटक	2699	2314164	3,434	3,436,427
केरल	469	3717517	761	4,762,213
लद्दाख	1	599	10	6,410
लक्षद्वीप	5	68	6	395
मध्य प्रदेश	733	1358677	1,034	2,412,848
महाराष्ट्र	611	501012	1,108	706,380
मणिपुर	65	53040	93	87,117
मेघालय	28	393475	183	555,947
मिजोरम	20	58473	96	84,892
नगालैंड	42	23133	145	33,058
पुद्दुचेरी	27	15881	32	35,694
पंजाब	924	1155441	937	1,390,857
राजस्थान	1007	2562922	1,098	3,929,711
सिक्किम	11	6107	17	9,917
तमिलनाडु	755	7205165	1794	8,595,773
तेलंगाना	430	272588	746	654,251
त्रिपुरा	53	127270	146	199,139
उत्तर प्रदेश	1378	1104106	3,324	1,835,969
उत्तराखंड	74	433818	244	666,398

नोट: ओडिशा, पश्चिम बंगाल और दिल्ली राज्य/संघ राज्य क्षेत्र एबी-पीएमजेएवाई कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं।

एबी-पीएमजेएवाई के तहत प्रस्तुत दावों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार और वर्ष-वार ब्यौरा

अनुलग्नक-II

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वित्त वर्ष 2019-20		वित्त वर्ष 2020-21		वित्त वर्ष 2021-22	
	संख्या	धनराशि (करोड़ रूपए में)	संख्या	धनराशि (करोड़ रूपए में)	संख्या t	धनराशि (करोड़ रूपए में)
अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	138	0.10	254	0.87	782	2.13
आंध्र प्रदेश	373015	864.97	411339	1072.37	631169	1635.39
अरुणाचल प्रदेश	15	0.09	15	0.03	56	0.17
असम	-	-	76604	106.08	178207	268.52
बिहार	145342	131.37	82959	74.09	111900	129.18
चंडीगढ़	2953	2.27	5177	3.13	8052	5.09
छत्तीसगढ	617527	553.33	465817	489.22	854559	918.33
दादरा और नगर हवेली और दमण और द्वीव	31467	18.02	18966	11.60	20383	14.53
गोवा	48	0.12	133	0.26	166	0.37
गुजरात	129490	244.70	290034	620.09	557369	1568.38
हरियाणा	91551	117.47	135487	153.57	183234	234.81
हिमाचल प्रदेश	44289	41.13	28818	34.70	45199	65.34
जम्मू और कश्मीर	65247	32.83	56763	45.74	244725	434.60
झारखंड	395683	378.68	289063	287.03	317833	429.50
कर्नाटक	574981	886.52	791975	1325.95	1230777	1685.71
केरल	956006	660.88	1028627	737.67	1694424	1560.03
लद्दाख	-	-	-	-	388	0.48
लक्षद्वीप	1	0.00018	-	-	58	0.18
मध्य प्रदेश	250014	321.92	356729	489.73	680315	1086.75
महाराष्ट्र	597406	1362.89	659818	1498.36	851156	2052.34
मणिपुर	11120	16.45	16711	16.74	23007	28.52
मेघालय	123600	92.06	122986	94.15	144665	117.07
मिजोरम	27508	25.50	17350	20.79	13827	17.71
नगालैंड	9886	13.12	7389	10.54	5585	11.13
पुद्दचेरी	1299	0.95	2509	1.14	11530	6.68
पंजाब	186731	222.47	413259	459.24	524389	651.56
राजस्थान	681802	645.69	372281	342.71	1047519	1353.98
सिक्किम	1172	1.51	1826	1.39	2706	1.92
तमिलनाडु	785598	1003.99	1858530	827.56	4620020	1578.73
तेलंगाना	-	-	-	-	277837	622.79
त्रिपुरा	50052	28.55	28549	22.20	44615	38.95
उत्तर प्रदेश	276855	296.50	311374	292.12	482303	532.89
उत्तराखंड	123730	118.76	109779	153.80	172859	380.32

*****